



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:06.05.2026

गैंग लीडर-रमेश चन्द ओझा व गैंग के अन्य 02 सक्रिय सदस्यों द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी ₹ 03 करोड़ 30 लाख की अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम में आज दिनांक:06.05.2026 को नायब तहसीलदार-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर-विवेक जावला, थानाध्यक्ष विन्ध्याचल-अविनाश प्रकाश सिंह सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-283/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित गैंग लीडर-रमेश चन्द ओझा पुत्र जयदेव ओझा निवासी हरना की गली तुलसी चौक थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर के गैंग के सक्रिय 02 सदस्यों 1.राकेश कुमार सरोज पुत्र सुभाषचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मलई की बारी तरकापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व 2.भागमनी देवी पत्नी स्व0रामचन्द्र सिंह निवासिनी रामपुर कला थाना कोरांव जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति[ग्राम अमोई(कंति)थाना विन्ध्याचल तहसील सदर मीरजापुर अन्तर्गत खाता संख्या:00096, गाटा संख्या:(276 से क्षेत्रफल 0.197, 279क से क्षेत्रफल 0.197)] व [ग्राम बरकछा कला (कंति) तहसील सदर जनपद मीरजापुर, खाता संख्या:00786, गाटा संख्या:1990(यूनिक कोड: 2114231990000012), क्षेत्रफल- 0.1650 हे0], इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.559 हे0, जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 03 करोड़ 30 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

आपराधिक इतिहास —

A.गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-66/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
- 2.मु0अ0सं0-89/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
- 3.मु0अ0सं0-93/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
- 4.मु0अ0सं0-188/2025 धारा 60(2),352,351(2)बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
5. मु0अ0सं0-283/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

B.गैंग सदस्य- राकेश कुमार सरोज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-66/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
2. मु0अ0सं0-89/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
3. मु0अ0सं0-93/2025 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
4. मु0अ0सं0-283/2025 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।


